

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / २५५५ / 2021

दिनांक : 25.11.2021

श्री दीपक पाण्डे (RJ0218), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, सवाई माधोपुर को दिनांक 22.10.2021 से 23.10.2021 तक 02 दिनों का परावर्तित अवकाश दिनांक 24.10.2021 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

श्री पाण्डे की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सवाई माधोपुर ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, सवाई माधोपुर के पद पर ही की गई ।

आज्ञा से

रजिस्ट्रार (निर्वाह)

कमांक:-स्था.बी.2(4)/23/1996/7251

दिनांक 25.11.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, सवाई माधोपुर को उनके पत्रांक 100 दिनांक 25.10.2021 के सन्दर्भ में ।
3. श्री दीपक पाण्डे (RJ0218), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, सवाई माधोपुर ।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सवाई माधोपुर ।

सहायक रजिस्ट्रार